राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–7211 /241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC-Mathura-II दिनांक–20/11/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
मथुरा उ0प्र0।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में "दीनदयाल अन्त्योदय (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समविषयक प्रस्ताव (पत्रांक संख्या–209/डूडा/2018–19 दिनांक 26.10.2018) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उल्लिखित के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त एतद् द्वारा मथुरा नगर से प्राप्त इंगित प्रस्ताव को कार्यालय ज्ञाप संख्या–1464/241/NULM/तीन/2001 दिनांक 28/07/14 के द्वारा गठित उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर मथुरा नगर में द्वितीय शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की स्थापना हेतु स्वीकृति दीनदयाल अन्त्योदय (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

रू0 लाख में

क्र0 सं0	शहरी आजीविका केन्द्र स्थापित किये जाने का स्थल	प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की धनराशि
1	शहरी आजीविका केन्द्र, नगर निगम कार्यालय, वृन्दावन जोन, मथुरा।	10.00	3.00
	योग–	**10.00**	**3.00**

20/11/2018

उपरोक्तानुसार गाइडलाइन के प्राविधानों के अनुरूप प्रावधानित एवं स्वीकृति धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) में से प्रथम किश्त हेतु अनुमन्य धनराशि की प्रथम किश्त 30% के अनुसार रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों/निर्देशों के साथ अवमुक्त करने हेतु आदेशित किया जाता है।

1. शहरी आजीविका केन्द्र का संचालन प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्ताव में उल्लिखित नगर निगम कार्यालय, वृन्दावन जोन में शहर मिशन प्रबन्धक इकाई (सी0एम0एम0यू0), डूडा द्वारा संचालित किया जायेगा। संचालन की व्यवस्था में परिवर्तन हेतु राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (एस0एम0एम0यू0) से प्रशासनिक स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यथावश्यकता शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की संचालन व्यवस्था किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया से नियमानुसार संस्था/एजेन्सी का चयन केवल संचालन व्यवस्था हेतु ही किया जायेगा। वाह्य संस्था/एन0जी0ओ0 के माध्यम से संचालन हेतु मुख्य बिन्दु उपसमिति के कार्यवृत्त संख्या–2723/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित है जो सूडा वेबसाइड पर अपलोड है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का संचालन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर किया जायेगा। सर्वप्रथम सी0एल0सी0 हेतु प्रस्तावित भवन में बिजली, पानी, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलीफोन, स्टाफ तथा केन्द्र हेतु बोर्ड लगाकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

3. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की दरें बाजार के अनुरूप उचित दरों का निर्धारण सी0एम0एम0यू0 द्वारा किया जायेगा जिसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर किया जायेगा तथा बुकलेट भी तैयार की जायेगी जिसकी एक प्रति एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करानी होगी। शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की सेवाओं व रेट का समुचित प्रचार प्रसार किया जायेगा।

4. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का पंजीकरण राज्य के विधिक नियमों के अन्तर्गत गाइडलाइन के अनुसार कराना अपरिहार्य होगा।

5. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की सेवाओं की जानकारी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आम शहर वासियों तक पहुंचायी जायेगी। प्रचार प्रसार की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सुचारू रूप से करते हुए अभिलेखीकरण किया जाय। प्रचार प्रसार हेतु कतिपय गतिविधियां शहर स्तर पर आयोजित की जायेगी, कुछ गतिविधियां आवश्यकतानुसार शहर विशेष के कलस्टर स्तर पर की जाये। गाइडलाइन में उल्लिखित जागरूकता गतिविधियों के साथ–साथ आवश्यकतानुसार सूचना, शिक्षा एवं संचार Information Education Communication (IEC) सामग्री तैयार कराकर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन की कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियां आयोजित की जाय जिसमें स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार टी0वी0 पर चलने वाली स्क्रिन पट्टिका आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। जागरूकता अभियान की कार्ययोजना तैयार कर एक प्रति एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को भी अनुपालन स्वरूप उपलब्ध करानी होगी।

6. प्रथम किश्त का 70% धनराशि का उपयोग प्रथम किश्त अवमुक्त के व्यय कर उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ–साथ सी0एल0सी0 का विधिवत संचालन प्रारम्भ कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का राष्ट्रीकृत बैंक में अलग से खाता खोलकर दैनिक लेन देन बैंक के माध्यम से किया जायेगा। बैंक खाते का संचालन गाइड लाइन एवं पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में किया जायेगा।

8. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) पर गाइड लाइन में प्रदत्त सभी अभिलेखों को सुचारू रूप से दैनिक आधार पर तैयार किया जायेगा तथा शहर मिशन प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा नियमित चेक कर हस्ताक्षरित किया जायेगा।

9. द्वितीय किश्त अवमुक्त से पूर्ण सम्बद्ध किये गये ट्रेडवार कामगार/समबद्ध किये जाने वाले कामगारों के संख्या के आधार पर विस्तृत बिजनेस प्लान प्रेषित किया जायेगा।

10. कामगारों के पंजीकरण हेतु लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क का निर्धारण कामगारों के साथ बैठक कर आपसी सहमति से तय किया जायेगा तथा उक्त बैंठक की कार्यवृत्त एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 को भी अनुपालन स्वरूप प्रेषित किये जायेंगे।

11. कामगारों के पंजीकरण हेतु विभिन्न सामुदायिक स्तर की गतिविधियों के साथ अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें पंजीकरण शुल्क एवं कार्य उपलबध कराये जाने हेतु लिए जाने वाली आंशिक अंशदान का भी उल्लेख किया जायेगा।

12. पंजीकृत किये जाने के उपरान्त कामगारों से ट्रेडवार उनकी कुशलता के अनुरूप कार्य दिये जाने हेतु सिक्योरिटी मनी जमा करायी जायेगी। जमा करायी जाने वाली सिक्योरिटी मनी बीपीएल/शहरी गरीब कामगारों से उनकी निपुणता व क्षमता के अनुरूप 1 से 3 दिवसों की मजदूरी एवं एपीएल से 3 से 5 दिन की मजदूरी के समतुल्य धनराशि जमा करायी जायेगी। ताकि कामगारों के बिना बताये ड्राप आउट कर जाने पर सीएलसी की हानि न हो।

13. कुशल पंजीकृत कामगारों को शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा तथा एक रसीद बुक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से कामगार सेवा उपलब्ध कराये गये परिवार/व्यक्ति/फर्म आदि को रसीद देकर शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) द्वारा तय की गई धनराशि लेगा। रसीद पर कामगार एवं कार्य कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे।

14. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय कर विभाग एवं विभाग में कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों को शहरी आजीविका केन्द्र के बारे में जानकारी देकर विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बद्धता की जायेगी।

15. पंजीकृत कामगार द्वारा रसीद बुक के माध्यम से लिये जाने वाले सेवा शुल्क में से शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) हेतु निर्धारित अंशदान सी0एल0सी0 के बैंक खाते में अथवा शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) में साप्ताहिक आधार पर जमा किया जायेगा। किसी भी कामगार के साप्ताहिक आधार पर किये गये कार्यों का विवरण/देय धनराशि शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) को न देने की स्थिति में उस कामगार को अगला कार्य नहीं दिया जायेगा तथा अपेक्षित धनराशि सिक्योरिटी मनी से समायोजित की जायेगी। तदोपरान्त संतोषजनक औचित्यपूर्ण कारणों के आधार पर उसे आगे सम्बद्ध किये जाने की रणनीति बनायी जायेगी।

16. पंजीकृत कामगारों का पूर्ण विवरण पत्र व्यवहार का पता, कुशलता/दक्षता की स्थिति, फोन/मोबाइल नम्बर का अभिलेखीकरण शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) में संरक्षित रखा जायेगा तथा कामगारों का सत्यापन स्थलीय स्तर पर एवं आवश्यकतानुसार पुलिस सत्यापन के माध्यम से भी कराया जायेगा।

17. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) द्वारा आम शहरी वासियों के यहां कार्य हेतु भेजे गये कामगार के कार्यों का फीडवैक लिया जायेगा तथा रिकार्ड भी किया जायेगा।

18. द्वितीय किश्त अवमुक्त से पूर्व शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के बढ़ोत्तरी की कार्ययोजना भी संशोधित बिजनेस प्लान में प्रस्तुत की जायेगी।

19. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की प्रगति आख्या प्रत्येक माह एस0एम0एम0यू0 को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें वित्तिय एवं भौतिक प्रगति का उल्लेख होगा तथा पथम माह की विस्तरित आख्या भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के अन्तर्गत प्रस्तावित सेवा प्रदाताओं मे से प्रथम वरीयता एस0जे0एस0आर0वाई0/एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत शहरी गरीबों को दिये गये कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) में सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर किया जायेगा तथा सेवा प्रदान हेतु भी प्राथमिकता

के तौर पर पहले इन्हें भेजा जायेगा इसके बाद अन्य सेवा प्रदाताओं को अवसर दिया जायेगा जिसमें शहरी गरीबों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात अन्य कुशल प्रदाताओं को अवसर दिया जायेगा।

21. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का संचालन प्रारम्भ में अधिकतम 2 स्टाफ के द्वारा किया जायेगा यदि सी0एम0एम0यू0 द्वारा इसका संचालन किया जाता है तो स्टाफ को बाह्य एजेन्सी के माध्यम से रखा जायेगा तथा निकाय सी0एम0एम0यू0 के किसी अधिकारी को शहरी आजीविका केन्द्र के प्रबन्धक के रूप में देखरेख हेतु सिटी प्रोजेक्ट आफीसर/परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा नामित किया जायेगा। सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी आय से स्टाफ बढ़ाया जा सकता है।

22. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की स्थापना हेतु सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा प्राविधानित अनुदान की धनराशि रू0 10.00 लाख में से निकाय विशेष की आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अनुसार निम्नानुसार व्यय किया जायेगा :

1. **शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) कर्मी/(स्टाफ)– औसतन– 30% (लगभग)**

   प्रारम्भ में शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) में दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मियों में प्रबन्धक सह सलाहकार, कम्प्यूटर/टेलीफोन आपरेटर के माध्यम से संचालन कराया जायेगा।

2. **आफिस सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि– औसतन– 20% (लगभग)**

   आफिस सामग्री में 1 सेट कम्प्यूटर, प्रिंटर के साथ स्कैनर, फैक्स, यू0पी0एस0, आवश्यकतानुसार मेज, कुर्सी, प्लास्टिक कुर्सी, दरी, परदा, पंखा, अलमारी, रैक, इनवर्टर बैटरी, फोन, कनेक्शन, इन्टरनेट, नोटिस/डिसप्ले बोर्ड आदि के क्रय हेतु आवश्यकतानुसार व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सी0एल0सी0 हेतु आवंटित भवन में अति आवश्यक मरम्मत हेतु न्यूनतम व्यय भी इस मद की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

3. **रिकरिंग व्यय– औसतन– 30% (लगभग)**

   उक्त के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था, इन्टरनेट बिल, फोन बिल, बिजली, स्टेशनरी व अन्य आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय सम्मिलित किया जा सकता है।

4. **गतिविधि (जनजागरूकता)– औसतन– 20% (लगभग)**

   गतिविधियों में विशेष रूप से व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित की जायें तथा रिपोर्ट में सभी गतिविधियों के व्यय आदि का विवरण उल्लिखित किया जाना प्राविधानित है।

   उपरोक्त 4 मदों में व्यय के सम्बन्ध में निकाय को किसी भी मद में 10 प्रतिशत व्यय को कम करने अथवा किसी मद में आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत बढ़ाने की छूट इस शर्त के साथ होगी कि कुल व्यय की सीमा में कोई वृद्धि स्वीकार नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में मिशन निदेशक से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सामग्री का क्रय–विक्रय एवं कार्य अनुबन्ध वित्तीय नियमो का पालन करते हुए किया जायेगा।

23. शहरी आजीविका केन्द्र के आय–व्यय का सुचारू रूप से वित्तीय नियमों के अनुसार अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा नियमानुसार आडिट कराया जायेगा।

24. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का शुभारम्भ एक इवेंट के रूप में गणमान्य व्यक्ति की गरिमामयी उपस्थित में वृहद स्तर पर मीडिया को आमंत्रित कर प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से किया जाय।

25. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) संचालन हेतु शहर स्तर पर सी0एल0सी0 कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार कर किया जायेगा, जो सीएलसी संचालन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

1.	परियोजना निदेशक डूडा/सिटी प्रोजेक्ट आफीसर सी0एम0एम0यू0 डूडा अथवा उनके द्वारा नामित उप नगर आयुक्त स्तर का अधिकारी	–	अध्यक्ष
2	परियोजना अधिकारी डूडा	–	सदस्य, सचिव
3	शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी0एम0एम0यू0, डूडा	–	सदस्य
4	सीएलसी संचालक/ प्रबन्धक	–	सदस्य

26. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के आत्म निर्भर होने की स्थिति में सी0एल0सी0 की आवश्यकतानुसार अपनी आय से जनरेटर की व्यवस्था की जा सकती है।

27. प्रारम्भ में शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का संचालन प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक किया जायेगा तथा रिस्पान्स आने पर आवश्यकतानुसार शिफ्ट के आधार पर कर्मियों की तैनाती कर 24 घंटे तक किया जा सकता है।

28. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सी0एल0सी0 कार्यकारी समिति का होगा। सी0एल0सी0 कार्यकारी समिति की संस्तुति के आधार पर सी0एल0सी0 हेतु कार्यदायी संस्था तथा स्टाफ का चयन आवश्यक सामग्री का क्रय आदि शहर मिशन प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी सी0एम0एम0यू0 डूडा के देखरेख में परि. निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर की स्वीकृति पर नियमानुसार किया जायेगा।

29. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का नियमित अनुश्रवण सी0एल0सी0 कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

30. उक्त धनराशि प्रश्नतगत योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन एवं एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्रांक–205/241/NULM/तीन/2001 दिनांक– 28/04/2014 में दिये गये व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।

31. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्त/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध प्रावधानित धनराशि के व्यय से पूर्व शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) को आत्मनिर्भर बनाया जा सके तथा उसका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

32. स्वीकृत धनराशि शहरी आजीविका केन्द्र के नाम से खाता खोलकर उसमें रखी जायेगी। धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

33. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

34. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को वापस करनी होगी।

35. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) का नगर निगम कार्यालय में संचालन प्रस्तावित होने के दृष्टिगत केन्द्र के आवंटन का प्रमाण पत्र द्वितीय किश्त अवमुक्त से पूर्व शहर प्रबन्धन ईकाई द्वारा एस0एम0एम0यू0 सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करना अपरिहार्य होगा।

36. शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के आत्म निर्भरता के सिद्धान्त पर होने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त अवमुक्त से पूर्व शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा को सी0एल0सी0 को आत्म निर्भर बनाने हेतु की गई पहल से प्राप्त सकारात्मक परिणामों के आधार पर आत्मनिर्भर किये जाने का प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र देना अपरिहार्य होगा।

37. स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में उल्लिखित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दर्शित उपलब्धियों को पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा मथुरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक सूडा को धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
5. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मथुरा।
6. सहायक वेबमास्टर सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल राज्य नगरीय विकास अभिकरण, सूडा उ0प्र0।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक